फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

रामचन्द्र बनाम भवानीसिंह

किस्म मुकदमा 23 उप. **नम्बर 382 / 17**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.11.17	अभिभाषक अपीलांट श्री बहादुरराम सुथार उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्व हो। अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 23 जेएमडी क मुरब्बा नम्बर 170/18 के किला नम्बर 7 ता 9, 11 ता 25 में कुल 17 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि स्थित है। इसी मुरब्बे में किला नम्बर 3 ता 4 में 2 बीघा एवं किला नम्बर 5 में 8 बिस्वा कुल 2 बीघा 8 बिस्वा कमाण्ड भूमि तथा मुरब्बा नम्बर 170/17 के किला नम्बर 16 में 1 बीघा, 24/2 में 16 बिस्वा व किला नम्बर 25 में 16 बिस्वा कुल 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि कुल तादादी 5 बीघा भूमि आराजीराज दर्ज है जो छोटे भूखण्ड में आवंटन हेतु उपलब्ध होने पर अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 27–02–2015 को स्माल पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र आज भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उन्होंने आगे बताया कि दिनांक 03–11–2017 को रेस्पोडेन्ट द्वारा यह बताया कि उक्त आराजी मुरब्बा नम्बर 170/17 व मुरब्बा नम्बर 170/18 में जो 5 बीघा भूमि आराजीराज थी, उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन हो चुकी है। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होन पर अदालत मातहत द्वार अवगत कराया गया कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित की जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के आराजी जैर के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच नहीं की गई कि आराजी जैर के आवंटन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र पूर्व से लम्बित चल रहा था,उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही न करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन बाले–बाले कर दिया गया। जबकि आराजी जैर भूमि अपीलांट के चिपते मुरब्बे की थी। जिस पर आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर	

		प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट को किया गया है जो आवंटन नियमों के विपरीत है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उक्त आवंटित भूमि के आस–पास कोई चिपती भूमि नहीं है। ना ही रेस्पोडेन्ट भूमिहीन काश्तकार था तथा ना ही आवंटित भूमि नियम 13ए के तहत नोटिफाईड थी। आराजी जैर भूमि अपीलांट के चिपते मुरब्बे में स्थित होने से स्मालपेच में आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है। आराजी जैर के आवंटन हेतु अपीलांट का प्रार्थना पत्र भी अदालत मातहत के समक्ष जैरकार था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन नियमों के विपरीत जाकर वादगत् भूमि का आवंटन किया गया है जो हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में होने से अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी जैर के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।	
	1.	प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 2696 / 2001 उनवान भवानी सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 15–07–2003 के अनुसार विशेष आवंटन में आवंटित रकबा के बजाय अन्य रकबा दिये जाने के आदेश की पालना में आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 04–09–2017 में विचारारार्थ प्रस्तुत की गई।	
	2.	चूंकि रेस्पोडेन्ट भवानीसिंह पुत्र जोगीसिंह को पूर्व में आवंटित भूमि चक 23 जेएमडी के मुरब्बा नम्बर 170 / 18 के किला नम्बर 21 ता 25 तादादी 5 बीघा भूमि विशेष आवंटन हेतु आवंटित करने बाबत् 35 प्रतिशत राशि जमा करवा ली गई थी। परन्तु उक्त भूमि एम.एफ.एफ.आर. आवंटी को आवंटन किये जाने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रेस्पोडेन्ट भवानीसिंह को अन्य भूमि आवंटन की जानी थी। जिसके फलस्वरूप अदालत मातहत द्वारा चक 23 जेएमडी के मुरब्बा नम्बर 170 / 17 की 2.12 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 170 / 18 की 4.10 बीघा कमाण्ड भूमि में से आवंटन किये जाने हेतु निवेदन करने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 04–09–2017 को आयोजित आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मत राय से रेस्पोडेन्ट भवानी सिंह को आवंटन का पात्र मानते	

	हुए उपलब्ध राजकीय भूमि चक 23 जेएमडी के मुरब्बा नम्बर 170/17 की 2.12 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 170/18 की 4.10 बीघा कमाण्ड भूमि में से चक 23 जेएमडी के मुरब्बा नम्बर 170/17 के किला नम्बर 16 में 1 बीघा, किला नम्बर 24/2 में 0.16 बिस्वा, किला नम्बर 25/2 में 0.16 बिस्वा इस प्रकार कुल 2 बीघा 12 बिस्वा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 170/18 के किला नम्बर 3 ता 4 में 2 बीघा, किला नम्बर 5 में 0.08 बीघा कुल 2.08 बीघा इस प्रकार कुल 5 बीघा कमाण्ड भूमि का समिति की राय से आवंटन किया गया है।	
3.	अपीलांट का यह कथन कि आराजी जैर के आवंटन हेतु उसका प्रार्थना पत्र वर्ष 2015 से जैरकार था, जिस पर अदालत मातहत द्वारा कोई कार्यवाही न करते हुए आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वर्ष 1999 में ही विशेष आवंटन हेतु चक 23 जेएमडी के मुरब्बा नम्बर 170/18 में 5 बीघा कमाण्ड भूमि हेतु 35 प्रतिशत राशि जमा करवाइ जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।	
4.	अपीलांट के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत न करते हुए तहसीलदार, बीकानेर के समक्ष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि आवंटन की शक्तियॉ तहसीलदार को प्राप्त न होकर उपखण्ड अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में निहित है। अतः अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाना व उक्त प्रार्थना पत्र समक्ष न्यायालय के समक्ष लम्बित नहीं होना स्वमेव साबित है। अतः अपीलांट का यह कथन कि आराजी जैर के आवंटन का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार था, स्वीकार योग्य नहीं होने से अपीलांट का आराजी जैर के आवंटन हेतु कोई अधिकार व हक नहीं बनता है।	
5.	अदालत मातहत द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्देशानुसार रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर का आवंटन किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बीकानेर से भूमि की वर्तमान स्थिति के बारे में पूर्ण विवरण एवं रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित है कि वर्तमान में भूमि आराजीराज दर्ज है तथा किसी का भी मौके पर कब्जा नहीं होना पाया गया। अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर चक 23 जेएमडी के मुरब्बा नम्बर 170/17 के किला नम्बर 16 में 1.00 बीघा, किला	

नम्बर 24/2 में 0.16 बीघा, किला नम्बर 25/2 में 0.16 बीघा कुल 2.12 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 170/18 के किला नम्बर 3 व 4 में 2.00 बीघा व किला नम्बर 5 में 0.08 बीघा कुल 2.08 बीघा इस प्रकार कुल 5.00 बीघा का किया गया आवंटन उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। अपीलांट इस अपील के माध्यम से स्थगन अथवा अन्य किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04-09-2017 उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।